संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

Ph 0755-2576751, Fax 0755-2552219, Website:www.mptechedu.org,
E-Mail:dtemp.bpl@mp.gov.in

क्रमांक/4/शैक्ष./एम.एम.व्ही.वाय./2018/ 190 **भोपाल, दिनांक** 24 **/04/2018**

:आदेश:

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रावधान/प्रक्रिया लागू की जाती है :-

(अ) ऐसे आवेदक जो शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की पूर्ण राशि हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकें हैं, वह शेष राशि हेतु अपना द्वितीय आवेदन अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से इस आशय हेतु मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के द्वारा प्रथम आवेदित राशि बैंक खाते में प्राप्त होने के उपरांत ही प्रस्तुत कर सकते हैं। द्वितीय आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी। आगामी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से यह प्रक्रिया उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी अर्थात् आवेदक को पूर्ण वर्ष की राशि हेतु अपना एकल आवेदन ही प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने की ही पात्रता होगी।

(ब) ऐसे आवेदक जिन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है अर्थात् जिनकी राशि संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा डिस्वर्स की जा चुकी हैं, ऐसे आवेदक प्राप्त राशि अपने बैंक खाते/संस्था के बैंक खाते के माध्यम से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पंजाब नेशनल बैंक खाता क्रमांक 6310000100005325, IFSC Code-PUNB0631000 में स्थानांतरित कर अपना आवेदन अनलॉक करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस खाते में नगर राशि जमा किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। इस हेतु राशि स्थानांतरित होने के उपरांत स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लॉगिन एवं पासवर्ड पर से "रिकवरी" विकल्प के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वज़रा अनलॉक किये जा सकेंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी आवेदन अनलॉक किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक से प्राप्त राशि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के खाते में स्थानांतरित हो चुकी है। अनलॉक होने के उपरांत आवेदन पत्र में परिवर्तन कर अन्य संस्था/पाठ्यक्रम के लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का आवेदन जमा कर सकेगा। या अन्य योजना/छात्रवृत्ति के लिये अपना आवेदन परिवर्तित कर सकेगा।

(स) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ऐसे आवेदक जिनका भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में किया जाना है, उनके आधार की जानकारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में अपडेट होना आवश्यक है। यह कार्यवाही आवेदक द्वारा स्वयं ही अपने बैंक के माध्यम से सुनिश्चित की जाना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में बैंक खाते आधार लिंक हैं या नहीं इसका परीक्षण आवेदक द्वारा आधार की अधिकृत वेबसाईट www.uidai.gov.in में उपलब्ध विकल्प Check Aadhaar & Bank Account Linking Status के माध्यम से किया जा सकता है।

24/4

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/4/शैक्ष./एम.एम.व्ही.वाय./2018/191 भोपाल, दिनांक 24/04/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. श्री प्रकाश राव, अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ की उपरोक्तानुसार पोर्टल में प्रावधान करने का कष्ट करें।
3. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, ई.पी.सी.ओं , शाखा, पर्यावास परिसर, भोपाल म0प्र0 की ओर इस आशय के साथ की उक्त खाते में नगद राशि जमा नही किये जाने हेतु आवश्यक प्रावधान करने का कष्ट करें।
4. समस्त सत्यापनकर्ता एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों एम.एम.व्ही.वाय. योजना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/4

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश